(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 33 (आरई-2012)/2009-2014
नई दिल्ली, दिनांक 08 फरवरी, 2013

विषयः ईपीसीजी निर्यात स्कीम के पश्चात विदेश व्यापार नीति (आरई-2012)/2009-2014) में संशोधन।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 1.3 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 (आरई-2012) के पैरा 5.11 में संशोधन करती है।

2. विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.11 के मौजूदा उप पैरा (ख) जो निम्नानुसार पठित है, में संशोधन किया गया हैः-

"पूंजीगत वस्तुओं पर दिए जाने वाले शुल्क (सेनवेटिड/छूट प्राप्त हिस्से को छोड़कर) में स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिपों) के रूप में छूट दी जाएगी"

विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.11 के संशोधित उप पैरा (ख) को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"पूंजीगत वस्तुओं पर दिए जाने वाले मूल सीमा शुल्क में विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी की गई वस्तुओं की भांति स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिपों) के रूप में छूट दी जाएगी।"

3. इस संशोधन का प्रभावः

यह स्पष्ट किया जाता है कि ईपीसीजी निर्यात स्कीम के पश्चात ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों को मूल सीमा शुल्क के संबंध में ही जारी किया जाएगा तथा इनकी विशेषताएं अध्याय 3 की स्क्रिपों के समरूप होंगी।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 18/08/एएम13/नीति-5 से जारी)